2015 का विधेयक संख्यांक 19.

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. संघ कार्रवाई की समीचीनता की घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

नीलामी और आबंटन

4. नीलामी में भाग लेने की पात्रता और फीस का संदाय ।
5. सरकारी कंपनियों या निगमों को खानों का आबंटन ।
6. केंद्रीय सरकार का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करना ।
7. केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय अनुसूची 1 कोयला खानों के वर्गीकरण की शक्ति ।
8. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश का जारी किया जाना ।

आगमों के संवितरण की पूर्विकता ।

अध्याय 3

पूर्विक आबंटितियों के अधिकार और बाध्यताओं का विवेचन

10. कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त जंगम संपत्ति का उपयोग ।
11. पूर्विक आबंटितियों के साथ तृतीय पक्षकार संविदाओं का निर्वहन या अंगीकरण ।
12. प्रतिभूत लेनदारों के संबंध में उपबंध ।
13. शून्य अन्य संक्रामण और अनुज्ञात प्रतिभूति हित ।
14. पूर्विक आबंटितियों के दायित्व ।
15. संदाय आयुक्त का नियुक्त किया जाना और उसकी शक्तियां ।
16. पूर्विक आबंटिती को संदाय के लिए प्रतिकर का मूल्यांकन ।

अध्याय 4

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

17. नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।
18. केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया जाना ।
19. अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत पदाभिहित अभिरक्षक की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 5

कतिपय ठहराव

20. केन्द्रीय सरकार की कतिपय ठहरावों का अनुमोदन करने की शक्ति ।

खंड

अध्याय 6

प्रकीर्ण

21. भूमि का अर्जन ।
22. अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली ।
23. कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां ।
24. केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।
25. कंपनियों द्वारा अपराध ।
26. अपराधों का संज्ञान ।
27. विवाद परिनिर्धारण और सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
28. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
29. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
30. अनुसूची 4 में अंतर्विष्ट कतिपय अधिनियमों का संशोधन ।
31. नियम बनाने की शक्ति ।
32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
33. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

अनुसूची 4

2015 का विधेयक संख्यांक 19.

[दि कोल माइन्स (स्पेशल प्रोवीजन्स) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015

कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित को निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 24 सितंबर, 2014 के आदेश के साथ पठित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय द्वारा कोयला खंडों का आबंटन रद्द कर दिया है और ऐसे कोयला खंडों की बाबत निदेश जारी किए हैं और केंद्रीय सरकार को उक्त निदेशों के अनुसरण में उक्त आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी है ;

और, देश की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कोर सेक्टरों, जैसे इस्पात, सीमेंट और विद्युत उपयोगिता, पर किसी भी समाघात को कम करने के लिए बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों और आबंटितियों को कोयला खान आबंटित करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में तुरंत कार्रवाई किया जाना समीचीन है ;

और, संसद्, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के अधीन, खानों और खनिज विकास का विनियमन करने के लिए उस सीमा तक, जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे, विधान बनाने के लिए सक्षम है ;

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 21 अक्तूबर, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

संघ कार्रवाई की समीचीनता की घोषणा ।

2. यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा, अधिकतम उपयोग के लिए अनुसूची 1 कोयला खानों के विकास और सतत आधार पर कोयला निकालने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए ।

परिभाषाएं ।

3. (1) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अतिरिक्त उद्ग्रहण" से उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 द्वारा यथा अवधारित अतिरिक्त उद्ग्रहण अभिप्रेत होगा, जो निकाले गए कोयले पर दो सौ पचानवे रुपए प्रति मीटरी टन है ;

(ख) "आबंटन आदेश" से धारा 5 के अधीन जारी आबंटन आदेश अभिप्रेत है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश के अनुसरण में "नियत तारीख",--

(i) अनुसूची 2 कोयला खानों को छोड़कर, अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, 24 सितंबर, 2014 होगी, जिस तारीख को पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हुआ था ;

(ii) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में, 1 अप्रैल, 2015 होगी, जिस तारीख को पूर्विक आबंटितियों को कोयला खंडों का आबंटन रद्द हो जाएगा ;

(घ) "बैंक" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के खंड (ग) में है ; 2002 का 54

(ङ) "कोयला खनन संक्रियाओं" से कोयला प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए की गई कोई संक्रिया अभिप्रेत है ;

(च) "कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में है ; 2013 का 18

(छ) "निगम" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में है ; 2013 का 18

(ज) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ङ) में है ; 2002 का 54

(झ) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में है ; 2013 का 18

(ञ) "खान अवसंरचना" के अंतर्गत खनन अवसंरचना भी है, जैसे कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त मूर्त आस्तियां, अर्थात् सिविल संकर्म, कर्मशालाएं, कोयला प्राप्त करने के लिए स्थावर उपस्कर, प्रतिष्ठान, तटबंध, पटरियां, विद्युत प्रणालियां, संचार प्रणालियां, राहत केंद्र, स्थल प्रशासनिक कार्यालय, स्थिर प्रतिष्ठापन, कोयला हथालन प्रबंध, पिसाई और प्रवहण प्रणालियां, रेल साईडिंग, गड्ढे, कूपक, आनति, भूमिगत

परिवहन प्रणालियां, खिंचाई प्रणालियां, (जंगम उपस्कर के सिवाय, जब तक वह उसके स्थायी लाभप्रद उपभोग के लिए भूमि में सन्निहित नहीं हो), वनरोपण के लिए सीमांकित भूमि और सुसंगत विधि के अधीन कोयला खनन संक्रियाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि ;

(ट) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 6 के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "पूर्विक आबंटिती" से अनुसूची 1 कोयला खानों का, उसमें यथासूचित पूर्विक आबंटिती अभिप्रेत है, जिसे 1993 और 31 मार्च, 2011 के बीच कोयला खान आबंटित की गई थी, जिसका आबंटन उच्चतम न्यायालय के तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में रद्द कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया था ;

स्पष्टीकरण--उस दशा में जब अनुसूची 1 कोयला खानों के ऐसे आबंटन के पश्चात् खनन पट्टा किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में निष्पादित किया गया है तो तीसरा पक्षकार पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा ।

(ण) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(त) "अनुसूची 1 कोयला खानों" से अभिप्रेत है,--

(i) ऐसी सभी कोयला खानें और कोयला खंड, जिनका आबंटन 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 में तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और उसके तारीख 24 सितंबर, 2014 को पारित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत वे आबंटन भी हैं, जिनका 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 120 के पूर्व और उसके लंबित रहने के दौरान आबंटन निष्प्रभाव कर दिया गया था ;

(ii) पूर्विक आबंटिती द्वारा अर्जित सभी कोयला धारक भूमि और पूर्विक आबंटिती द्वारा अर्जित कोयला खनन संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कोयला खानों में या उसके पार्श्वस्थ भूमियां ;

(iii) खंड (ञ) में यथा परिभाषित कोई भी विद्यमान खान अवसंरचना ;

(थ) "अनुसूची 2 कोयला खानों" से अनुसूची 2 में सूचीबद्ध ऐसी बयालीस अनुसूची 1 कोयला खानें अभिप्रेत हैं, जो ऐसी कोयला खानें हैं, जिनके संबंध में उच्चतम न्यायालय का तारीख 24 सितंबर, 2014 का आदेश किया गया था ;

(द) "अनुसूची 3 कोयला खानों" से अनुसूची 3 में सूचीबद्ध ऐसी बत्तीस अनुसूची 1 कोयला खान या कोई ऐसी अन्य अनुसूची 1 कोयला खान अभिप्रेत है, जो धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की जाए ;

(ध) "प्रतिभूत लेनदार" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यघ) में है ;

2002 का 54

(न) "प्रतिभूत ऋण" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यङ) में है ; 2002 का 54

(प) "प्रतिभूति हित" का वही अर्थ होगा, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (यच) में है ; 2002 का 54

(फ) "विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग" से निम्नलिखित में से कोई अंतिम उपयोग अभिप्रेत है :--

(i) लौह और इस्पात का उत्पादन ;

(ii) विद्युत उत्पादन, जिसके अंतर्गत स्थैतिक उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन भी है ;

(iii) किसी खान से अभिप्राप्त कोयले का धावन ;

(iv) सीमेंट ;

(v) ऐसा अन्य अंतिम उपयोग, जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

और "विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोक्ता" पद का, उसके व्याकरणिक रूपभेदों के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ब) "निधान आदेश" से धारा 8 के अधीन किया गया निधान आदेश अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973, जिसके अंतर्गत उनके अधीन बनाया गया कोई नियम या विनियम भी है, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इन अधिनियमों में क्रमशः उनका है । 1957 का 20 1957 का 67 1973 का 26

अध्याय 2

नीलामी और आबंटन

नीलामी में भाग लेने की पात्रता और फीस का संदाय ।

4. (1) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 कोयला खानें, ऐसे नियमों के अनुसार और ऐसी फीस के संदाय पर, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, लोक नीलामी की ऐसी रीति द्वारा आबंटित की जाएंगी, जो विहित की जाए ।

(2) इस धारा की उपधारा (3) और धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार, ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतियोगी बोली द्वारा, नीलामी के माध्यम से, निम्नलिखित में से किसी कंपनी का चयन कर सकेगी,--

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई कोई सहउद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी ; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई कंपनी या कोई सहउद्यम कंपनी,

जो, यथास्थिति, परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में, या तो अपने उपभोग, विक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, भारत में कोयला खनन संक्रियाएं चला रही है और राज्य सरकार इस धारा के अधीन प्रतियोगी बोली के द्वारा, नीलामी के माध्यम से यथा, चयनित ऐसी कंपनी को ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला हो, ऐसा सर्वेक्षण परमिट,

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी ।

(3) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति, जो विहित किए जाने वाले मानकों को पूरा करते हैं, अनुसूची 2 कोयला खानों और अनुसूची 3 कोयला खानों की किसी नीलामी में बोली लगाने और उनके बोली लगाने में सफल होने की दशा में कोयला खनन संक्रियाओं में लगने के पात्र होंगे, अर्थात् :--

(क) विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगी कोई कंपनी, जिसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है, जिसके पास कोयला लिंक है और जिसने ऐसा विनिधान किया है, जो विहित किया जाए ;

स्पष्टीकरण--"कोयला लिंक वाली कंपनी" के अंतर्गत ऐसी कोई कंपनी है, जिसका आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को केंद्रीय सरकार के पास लंबित है ;

(ख) सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली दो या अधिक कंपनियों द्वारा बनाई गई कोई सहउद्यम कंपनी और इस अधिनियम के अनुसार बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रूप से पात्र है ;

(ग) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम या सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग वाली किसी अन्य कंपनी के साथ बनाई गई कोई सहउद्यम कंपनी :

परंतु उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात इस उपधारा को लागू नहीं होगी ।

(4) कोई पूर्विक आबंटिती ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अतिरिक्त उद्ग्रहण के संदाय के अध्यधीन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र होगा और यदि पूर्विक आबंटिती ने ऐसे उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो पूर्विक आबंटिती, इसका संप्रवर्तक या ऐसे पूर्विक आबंटिती की कोई कंपनी, या तो स्वयं द्वारा या किसी सहउद्यम के माध्यम से बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(5) कोई पूर्विक आबंटिती, जो कोयला खंड आबंटन से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध और तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, नीलामी में भाग लेने का पात्र नहीं होगा ।

सरकारी कंपनियों या निगमों को खानों का आबंटन ।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, किसी सरकारी कंपनी या निगम या दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों के बीच सहउद्यम या किसी ऐसी कंपनी को, जिसे ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, कोई आबंटन आदेश करके विनिर्दिष्ट अनुसूची 1 कोयला खानों से टैरिफ के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति वृहत् विद्युत परियोजना भी है) प्रदान की गई है, कोई अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित कर सकेगी और राज्य सरकार, ऐसी कंपनी या निगम को किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला है, सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी :

परंतु सरकारी कंपनी या निगम, यथास्थिति, परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में या तो स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोयला खनन जारी रख सकेगा :

परंतु यह कि सरकारी कंपनी या निगम से भिन्न कोई कंपनी, सरकारी कंपनी या निगम या सरकारी कंपनी या निगम के बीच सहउद्यम में प्रत्यक्षतः या अपनी समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी के माध्यम से समादत शेयर पूंजी का छब्बीस प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करेगी :

परंतु यह और कि किन्हीं दो या अधिक सरकारी कंपनियों या निगमों का कोई सहउद्यम, किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेने के सिवाय, सहउद्यम में किसी हित का, चाहे किसी भी प्रकृति

का हो, जिसके अंतर्गत किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में स्वामित्व भी है, अन्य संक्रांत या अंतरित करने से प्रतिषिद्ध होगा ।

(2) किसी पूर्विक आबंटिती को, यदि उस आंबटिती ने विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय नहीं किया है तो उपधारा (1) के अधीन कोई आबंटन नहीं किया जाएगा ।

केंद्रीय सरकार का नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करना ।

6. (1) केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु केंद्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नीलामी के संचालन और अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में निधान आदेश या आबंटन आदेश लेखबद्ध करने के लिए प्राधिकारी को सिफारिशें करने के लिए ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विहित की जाएं, किसी विशेषज्ञ को नियोजित कर सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करेगी, अर्थात् :--

(क) विशेषज्ञों की सहायता से नीलामी प्रक्रिया का संचालन और आबंटन ;

(ख) नीलामी के अनुसरण में अनुसूची 1 कोयला खानों को अंतरित और निहित करने के लिए निधान आदेश का निष्पादन ;

(ग) धारा 5 के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी या निगम के लिए आबंटन आदेश का निष्पादन करना ;

(घ) अमूर्त अधिकारों का, चाहे जिस भी प्रकृति के हों, जिनके अंतर्गत सहमति, अनुज्ञा, परमिट, अनुमोदन, मंजूरी, रजिस्ट्रीकरण भी हैं, को लेखबद्ध और नामांतरित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नीलामी आगमों का संग्रहण, अधिमानी संदाय का समायोजन और ऐसी संबंधित राज्य सरकारों को रकम का अंतरण, जहां अनुसूची 1 कोयला खान स्थित हैं ।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे समय के भीतर और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी पूरी करेगा और उनके आबंटन आदेशों का निष्पादन करेगा ।

(5) केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जो वह उचित समझे ।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीति के प्रश्न पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों द्वारा आबद्ध होगा ।

केंद्रीय सरकार द्वारा कतिपय अनुसूची 1 कोयला खानों के वर्गीकरण की शक्ति ।

7. (1) केंद्रीय सरकार, नीलामी की विशिष्टियां अधिसूचित करने से पहले अनूसूची 1 कोयला खानों में से पहचान की गई खानों का वर्गीकरण करेगी जो विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के उसी वर्ग के लिए उद्दिष्ट की गई हैं ।

(2) केंद्रीय सरकार, लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य अनुसूची 1 कोयला खान को मिलाकर अनुसूची 3 कोयला खानों को

उपांतरित कर सकेगी ।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निधान आदेश या आबंटन आदेश का जारी किया जाना ।

8. (1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियां अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित सूचना देने में पूर्विक आबंटितियों को समर्थ बनाने के लिए अनूसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को अधिसूचित करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित सूचना, ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर दी जाएगी ।

(3) ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, किसी प्रतियोगी आधार पर संचालित किसी नीलामी में बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति ऐसी अनुसूची 1 कोयला खान के निहित किए जाने का हकदार होगा जिसके लिए उसने ऐसे नियमों के अनुसार लेखबद्ध निधान आदेश के अनुसरण में बोली लगाई थी ।

(4) निधान आदेश से, बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति को निम्नलिखित अंतरित किया जाएगा और वह उसमें निहित होगा, अर्थात् :–

(क) सुसंगत नीलामी से संबंधित अनुसूची 1 कोयला खान में पूर्विक आबंटिती के सभी अधिकार, हक और हित;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी खनन पट्टे की हकदारी;

(ग) अनुसूची 1 कोयला खानों में, यदि पूर्विक आबंटिती को पहले ही जारी की जा चुकी है, कोयला खनन संक्रियाएं करने के लिए अपेक्षित कोई भी कानूनी अनुज्ञप्ति, परमिट, अनुज्ञा, अनुमोदन या सहमति;

(घ) पूर्विक आंबटिती के अनुमोदित खनन योजना से संलग्न अधिकार;

(ङ) खंड (क) से खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट नहीं किया गया कोई भी अधिकार, हक या हित ।

(5) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्रीय सरकार से परामर्श करके ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, निम्नतम मूल्य या आरक्षित कीमत अवधारित करेगा ।

(6) बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति निधान आदेश के जारी किए जाने और निष्पादन से पहले ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, ऐसे बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी में दी गई अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में यथा अधिसूचित किसी रकम के लिए कार्यपालन बैंक गारंटी देगा ।

(7) इस धारा के अधीन निधान आदेश के जारी किए जाने और केंद्रीय सरकार के पास तथा क्रमशः राज्य सरकारों द्वारा पदाभिहित समुचित प्राधिकारी के पास इसके फाइल किए जाने के पश्चात् बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति बाधा या प्रतिबाधा के बिना अनुसूची 1 कोयला खान का कब्जा लेने का हकदार होगा ।

(8) निधान आदेश के निष्पादन पर अनूसूची 1 कोयला खान के बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार लागू पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा ।

(9) यथास्थिति, किसी सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा बनाई गई या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के बीच किसी सहउद्यम कंपनी को या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी, जिसे अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित हो, को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार लागू पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर किया जाएगा ।

(10) अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति निधान आदेश के प्रदान किए जाने पर अनुमोदित खनन योजना के निबंधनानुसार नियत तारीख के

पश्चात् उपधारा (8) के निबंधनानुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक कोयला खनन संक्रियाएं उस सीमा तक जारी रखेगा जिस तक बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति को उक्त उपधारा के निबंधनानुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया जाना समझा जाएगा ।

(11) अनूसूची 2 कोयला खानों के संबंध में ऐसी सरकारी कंपनी या निगम जो पूर्विक आंबटिती थी, अनुमोदित खनन योजना के निबंधनानुसार नियत तारीख के पश्चात् तथा आबंटन आदेश के निष्पादन पर उपधारा (9) के निबंधनानुसार खनन पट्टा मंजूर किए जाने तक कोयला खनन संक्रियाएं उस सीमा तक जारी रख सकती है, जिस तक बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति को उक्त उपधारा के निबंधनानुसार खनन पट्टे के निष्पादन तक खनन पट्टा मंजूर किया जाना समझा जाएगा ।

(12) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) और उपधारा (4) से उपधारा (7) (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध, जैसे वे किसी निधान आदेश को लागू हैं, यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी आबंटन आदेश को भी लागू होंगे ।

आगमों के संवितरण की पूर्विकता ।

9. अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि और खान अवसंरचना से उद्भूत होने वाले आगम, अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संदायों की पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किए जाएंगे--

(क) किसी अनूसूची 1 कोयला खान के संबंध में प्रतिभूत ऋण के किसी भाग के लिए प्रतिभूति लेनदारों को संदाय जो निधान आदेश की तारीख को असंदत्त है ;

(ख) पूर्विक आबंटिती को अनूसूची 1 कोयला खान की बाबत संदेय प्रतिकर ।

अध्याय 3

पूर्विक आबंटितियों के अधिकार और बाध्यताओं का विवेचन

कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त जंगम संपत्ति का उपयोग ।

10. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती पूर्विक आबंटिती के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन पर वे पारस्परिक रूप से सहमत हो, कोयला खनन संक्रियाओं में प्रयुक्त ऐसी जंगम संपत्ति का स्वामित्व लेने या उपयोग करने के लिए बातचीत कर सकेगा ।

(2) जहां बोली लगाने वाले किसी सफल व्यक्ति या आबंटिती में किसी अनूसूची 1 कोयला खान की कोई जंगम संपत्ति निहित नहीं हुई है तो वह ऐसे स्वामित्व या संविदात्मक अधिकारों से उद्भूत किसी दायित्व या बाध्यता या ऐसी बाध्यता या दायित्व जो पूर्विक आबंटिती के पास जारी रहेगी, के लिए बाध्य नहीं है ।

(3) उस दशा में जब बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति, पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार के साथ, जिसने पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, जंगम संपत्ति के लिए समाधानप्रद रूप से बातचीत करने में असमर्थ है तो पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार की यह बाध्यता होगी कि वे, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी जंगम संपत्ति को हटाए और बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती ऐसी संपत्ति को हुए किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(4) बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती जिसने उपधारा (1) में निर्दिष्ट जंगम संपत्ति को न खरीदने या अंतरित न करने या उसका उपयोग जारी न रखने का चयन किया है, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन के पूर्व नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह घोषित करेगा कि उसका आशय पूर्विक आबंटिती या ऐसे तृतीय पक्षकार की ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने या भंडार करने का है तथा, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख के पश्चात् बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने

या भंडार करने का हकदार होगा जिससे कोयला खनन संक्रियाओं में कोई अड़चन पैदा न हो ।

(5) यदि कोई पूर्विक आबंटिती या ऐसा तृतीय पक्षकार जिसने पूर्विक आबंटिती के साथ उसकी जंगम संपत्ति के लिए कोई संविदा की है, ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने में विफल रहता है जिसका बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती ने उपधारा (4) के अनुसार क्रय न करने या उपयोग न करने का चयन किया है तो, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश से पचहत्तर दिन की अवधि के पश्चात् बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति का व्ययन करने का हकदार होगा जो अनुसूची 1 कोयला खान के भीतर भौतिक रूप से स्थित है, उस दशा में बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती ऐसी जंगम संपत्ति को हटाने, उसका भंडार, विक्रय या व्ययन करने के लिए बोली लगाने वाले किसी सफल व्यक्ति या आबंटिती द्वारा उपगत किसी लागत का संदाय करने के लिए ऐसी जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों पर व्ययनित ऐसी जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों को प्रथम प्रभार के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा :

परंतु बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती लागत को विनियोजित करने के पश्चात् शेष विक्रय आगमों को किसी ऐसे प्रतिकर के मद्दे केंद्रीय सरकार को संदत्त करेगा जो ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, ऐसी जंगम संपत्ति के हक के सिद्ध होने पर विक्रीत ऐसी जंगम संपत्ति के स्वामी को संदेय हों :

परंतु यह और कि यदि पूर्विक आबंटिती का कोई तृतीय पक्ष संविदाकार ऐसी जंगम संपत्ति का स्वामी है तो ऐसा तृतीय पक्षकार ऐसे नियमों के अनुसार जो विहित किए जाएं, इस उपधारा के अनुसार विक्रीत जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार को साबित करने का हकदार होगा ।

पूर्विक आबंटितियों के साथ तृतीय पक्षकार संविदाओं का निर्वहन या अंगीकरण ।

11. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत ऐसी संविदाओं को अंगीकार करने या जारी रखने का चयन कर सकेगा जो कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती के साथ विद्यमान हो और उससे ऐसी संविदा की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट कार्यपालन के लिए नवीकरण का गठन होगा :

परंतु ऐसी दशा में बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती या पूर्विक आबंटिती बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति द्वारा अंगीकृत किन्हीं संविदाओं का निहित किया जाना सम्मिलित करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा ।

(2) उस दशा में जब बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती किन्हीं ऐसी विद्यमान संविदाओं को अंगीकार न करने या जारी न रखने का चयन करता है जो पूर्विक आंबटिती द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ की गई हैं तो उस दशा में ऐसी सभी संविदाएं जो अंगीकृत नहीं की गई हैं या जारी नहीं रखी गई हैं, अनूसूची 1 कोयला खानों के संबंध में बोली लगाने वाले किसी सफल व्यक्ति या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं रहेंगी और ऐसे संविदा करने वाले पक्षकारों का उपचार पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध होगा ।

प्रतिभूत लेनदारों के संबंध में उपबंध ।

12. (1) पूर्विक आबंटितियों के ऐसे प्रतिभूत लेनदार जो अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना के किसी भाग में कोई प्रतिभूति हित रखते थे, निम्नलिखित के हकदार होंगे–

(क) पूर्विक आबंटिती के साथ सुविधा करारों और प्रतिभूति हित को जारी रखना, यदि ऐसा पूर्विक आबंटिती बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती है ; और

(ख) उस दशा में, जब पूर्विक आबंटिती बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती नहीं है, तब ऐसे प्रतिभूत लेनदार के प्रतिभूति हित को ऐसे पूर्विक आबंटिती को केवल उस सीमा तक, जो ऐसे नियमों के अनुसार विहित किए जाएं, अवधारित की जाए, संदेय प्रतिकर की रकम से चुकाया जाएगा और बकाया ऋण पूर्विक आबंटिती से

वसूलीय होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार करते हुए, उस रीति को विहित करेगी जिसमें प्रतिभूत लेनदार को किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से संदाय किया जाएगा ।

शून्य अन्य संक्रामण और अनुज्ञात प्रतिभूति हित।

13. किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य प्रतिभूत उधार देने वाले द्वारा यथा रजिस्ट्रीकृत भूमि और खान अवसंरचना में किसी रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित और उस पर प्रभार के सिवाय, 25 अगस्त, 2014 के पश्चात् किसी पूर्विक आबंटिती द्वारा भूमि और खान अवसंरचना का कोई और सभी अन्य संक्रामण तथा उन पर किए गए किन्हीं विल्लगमों का सृजन, चाहे किसी भी प्रकृति का हो, जो अनुसूची 1 कोयला खानों से संबंधित है, शून्य होगा ।

पूर्विक आबंटितियों के दायित्व ।

14. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व, यथास्थिति, बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती के विरुद्ध या अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत भूमि और खान अवसंरचना के विरुद्ध कोई कार्यवाही, कुर्की का आदेश, करस्थम, रिसीवरशिप, निष्पादन या सदृश्य, धन की वसूली के लिए वाद, किसी प्रतिभूति या गारंटी का प्रवर्तन (इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय) नहीं होगा या उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनके विरुद्ध कोई उपचार उपलब्ध नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कार्यवाहियां पूर्विक आबंटिती के विरुद्ध वैयक्तिक उपचार के रूप में जारी रहेंगी किंतु वे अनुसूची 1 कोयला खान की भूमि या खान अवसंरचना या बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसरण में पोषणीय या जारी नहीं रहेंगी ।

(3) निधान आदेश या आबंटन आदेश से किसी पूर्ववर्ती अवधि की बाबत अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में किसी पूर्विक आबंटिती का प्रत्येक दायित्व ऐसे पूर्विक आबंटिती का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध, न कि बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध, प्रवर्तनीय होगा ।

(4) सभी अप्रत्याभूत ऋण पूर्विक आबंटिती का दायित्व बने रहेंगे ।

(5) अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों के विरुद्ध अधिरोपित अतिरिक्त उद्ग्रहण पूर्विक आबंटितियों का दायित्व बना रहेगा और ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण का संग्रहण केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि--

(क) यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्ववर्ती किसी अवधि की बाबत अनुसूची 1 की कोयला खान के संबंध में मजदूरी, बोनस, रायल्टी, दर, भाटक, कर, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान या किसी अन्य शोध्य के लिए कोई दावा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) किसी अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व अनुसूची 1 कोयला खानों की भूमि और खान अवसंरचना के संबंध में, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का पारित पंचाट, डिक्री, कुर्की या आदेश, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ग) यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश की तारीख से पूर्व किसी कार्य या लोप से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध के उल्लंघन के लिए कोई

दायित्व, यथास्थिति, बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

संदाय आयुक्त का नियुक्त किया जाना और उसकी शक्तियां ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को संदेय रकमों का संवितरण करने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून अधिकारी को संदाय आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति कर सकेगी जो वह उचित समझे और तदुपरि आयुक्त ऐसे एक या अधिक अधिकारियों को भी उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) आयुक्त द्वारा किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी उन शक्तियों का उसी रीति में और उसी प्रभाव से प्रयोग करेगा मानो वह उसे प्रत्यक्षतः अधिनियम द्वारा, और न कि किसी प्राधिकार के माध्यम से प्रदत्त की गई हों ।

(4) आयुक्त और इस धारा के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) केन्द्रीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो अधिसूचित की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर आयुक्त को पूर्विक आबंटिती को संदाय करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की रकम के बराबर रकम का संदाय करेगी ।

(6) आयुक्त द्वारा ऐसी प्रत्येक अनुसूची 1 कोयला खान की बाबत, जिसके संबंध में उसे इस अधिनियम के अधीन संदाय किए गए हैं, पृथक् अभिलेख रखे जाएंगे ।

पूर्विक आबंटिती को संदाय के लिए प्रतिकर का मूल्यांकन ।

16. (1) अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में भूमि के लिए प्रतिकर की मात्रा, ऐसे नियमों, जो विहित किए जाएं, के अनुसार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास निविष्ट रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अनुसार, ऐसे क्रय या अर्जन की तारीख से, यथास्थिति, निधान आदेश या आबंटन आदेश के निष्पादन की तारीख तक बारह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ होगी ।

(2) अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में, खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर की मात्रा का अवधारण, ऐसे नियमो के अनुसार और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिए गए अवलिखित मूल्य के अनुसार किया जाएगा ।

(3) यदि बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती किसी भी अनुसूची 1 कोयला खान का पूर्विक आबंटिती है, तब ऐसे बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती को किसी अनुसूची 1 कोयला खान के लिए संदेय प्रतिकर का, यथास्थिति, ऐसे बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती द्वारा संदेय नीलामी राशि या आबंटन राशि में से मुजरा या समायोजन किया जाएगा ।

(4) पूर्विक आबंटिती किसी प्रतिकर का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय न कर दिया जाए ।

अध्याय 4

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

नियत तारीख के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व ।

17. (1) नियत तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी को ऐसी प्रत्येक अनुसूची 2 कोयला खान के संबंध में, जिसकी बाबत इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, राज्य सरकार का पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी हो जाना ऐसे समझा जाएगा, मानो ऐसी कोयला खान के संबंध में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को मंजूर की गई थी और ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि वह अधिकतम

अवधि होगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकती थी और तदुपरि ऐसे खनन पट्टे के अधीन सभी अधिकार जिसके अंतर्गत भूतल, भूमिगत और अन्य अधिकार भी हैं, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को अंतरित होना और उनमें निहित होना माना जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान पर, ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का उतनी अधिकतम अवधि के लिए नवीकरण किया जाएगा, जितनी अवधि के लिए ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति का खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन नवीकरण किया जा सकता है ।

(3) जैसा कि लोकहित में समीचीन और आवश्यक समझा जाए तथा ऐसी कठिन स्थिति जो उद्भूत हो गई है, को ध्यान में रखते हुए, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में, किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे को समय पूर्व समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निलंबित हो जाएंगी । 1957 का 67

केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अभिरक्षक को नियुक्त किया जाना ।

18. (1) यदि अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है तो नियत तारीख से ही केन्द्रीय सरकार, ऐसी कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी व्यक्ति की पदाभिहित अभिरक्षक के रूप में नियुक्ति करेगी ।

(2) पदाभिहित अभिरक्षक, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोयला खानों की बाबत, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से अनुसूची 1 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के लिए ऐसी रीति में जो अधिसूचित की जाए, धारा 8 के साथ पठित धारा 4 और धारा 5 के अधीन ऐसी कोयला खानों की, यथास्थिति, नीलामी या आबंटन के पूरा होने तक कार्य करेगा ।

अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत पदाभिहित अभिरक्षक की शक्तियां और कृत्य ।

19. (1) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पदाभिहित अभिरक्षक अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं और अनुसूची 2 कोयला खानों के संबंध में खान अवसंरचना के लिए उपयोग की गई सभी भूमियों या संलग्न सभी भूमियों का केन्द्रीय सरकार की ओर से नियंत्रण और कब्जा लेने का हकदार होगा।

(2) पदाभिहित अभिरक्षक नियत तारीख के ठीक पहले पूर्विक आबंटियों या अनुसूची 2 कोयला खान और कोयला खनन संक्रियाओं के प्रबंध के लिए प्रभारी किन्हीं अन्य व्यक्तियों को कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो ।

(3) पदाभिहित अभिरक्षक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए अनुसूची 2 कोयला खानों को देय किसी धन को, ऐसे मामलों के होते हुए भी प्राप्त करेगा, जहां ऐसी प्राप्ति नियत तारीख से पूर्व किसी समय किए गए संव्यवहार से संबंधित है ।

(4) पदाभिहित अभिरक्षक अनुसूची 2 कोयला खानों और कोयला खनन संक्रियाओं के संबंध में ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, जो नियत तारीख से पूर्व अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के प्रभारी थे, किसी सूचना, अभिलेखों और दस्तावेजों को मंगा सकेगा और ऐसे व्यक्ति पदाभिहित अभिरक्षक को उनकी अभिरक्षा में अनुसूची 2 कोयला खानों से संबंधित ऐसे दस्तावेज परिदत्त करने के लिए आबद्धकर होंगे ।

(5) पदाभिहित अभिरक्षक अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के संबंध में ऐसे परामर्शियों या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(6) पदाभिहित अभिरक्षक अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन को ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में अंतरित कर सकेगा, जो विहित की जाए ।

(7) पदाभिहित अभिरक्षक के, उसे धारा 18 के अधीन न्यस्त कोयला खानों की बाबत किसी पूर्विक आबंटिती या बोली लगाने वाले किसी सफल व्यक्ति के रूप में ऐसे अधिकार, दायित्व और बाध्यता होगी, जिनका ऐसी रीति में प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(8) पदाभिहित अभिरक्षक को ऐसे अन्य कृत्य करने की शक्ति होगी जो इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों के पारिणामिक या आनुषंगिक हैं ।

(9) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, पदाभिहित अभिरक्षक इस विधेयक के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे ।

अध्याय 5

कतिपय ठहराव

केन्द्रीय सरकार की कतिपय ठहरावों का अनुमोदन करने की शक्ति ।

20. (1) बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती या कोयला लिंकधारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, यथास्थिति, अन्य बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती या कोयला लिंकधारी से लोकहित में और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए समान अंतिम उपयोग हेतु अधिकतम उपयोग के लिए कतिपय करार या ठहराव करने का हकदार होगा ।

(2) बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे हुए उसके किन्हीं संयंत्रों के लिए भी कोयला खान का ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भूमि का अर्जन ।

21. (1) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में सभी विद्यमान भूमि अर्जन कार्यवाहियां ऐसे भूमि क्षेत्रों की बाबत उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी ।

2013 का 30

(2) ऐसे सभी भूमि क्षेत्रों पर, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन कोयला खानों के संबंध में भूमि अर्जन कार्यवाहियों की विषय वस्तु नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के निबंधनों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

2013 का 30

1957 का 20

(3) राज्य सरकारें जिन्होंने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन कार्यवाहियां आरंभ कर दी हैं और ऐसी सभी भूमियां जो अनुसूची 1 कोयला खानों की बाबत उक्त अधिनियम की भी विषयवस्तु हैं—

2013 का 30

(क) पूर्विक आबंटितियों को ऐसी भूमि का अंतरण नहीं करेंगी जिसे उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया है ;

(ख) नियत तारीख तक भूमि अर्जन कार्यवाहियां जारी रखेंगी ;

(ग) ऐसी अनुसूची 1 कोयला खानों के लिए जिनकों नियत तारीख तक, यथास्थिति, बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती में निहित नहीं किया गया है, केन्द्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से भूमि अर्जन कार्यवाहियों को जारी रखेंगी ;

(घ) नियत तारीख के पश्चात्, यथास्थिति, निधान या आबंटन पर, बोली लगाने

वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती की ओर से ऐसी भूमि अर्जन कार्यवाहियों को जारी रखेंगी ।

अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली ।

22. यदि अनुसूची 2 कोयला खान का पूर्विक आबंटिती विनिर्दिष्ट समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के पास अतिरिक्त उद्ग्रहण को जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसे अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां ।

23. यदि कोई व्यक्ति--

(क) केन्द्रीय सरकार या पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा अनुसूची 1 कोयला खान का कब्जा लेने में बाधा उत्पन्न करता है या कोई अड़चन उत्पन्न करता है ;या

(ख) पदाभिहित अभिरक्षक को, उस प्रबंधन की बाबत, जिसके लिए पदाभिहित अभिरक्षक नियुक्त किया गया है, अनुसूची 1 कोयला खान और कोयला खनन संक्रियाओं से संबंधित लेखा बहियां, रजिस्टर या उसकी अभिरक्षा में किसी अन्य दस्तावेज को परिदत्त करने में असफल रहता है ;या

(ग) किसी खान अवसंरचना या कोयला स्टाक को नष्ट करता है या उसका दुरुपयोग करता है; या

(घ) ऐसी कोयला खान की किसी संपत्ति को प्रतिधारित करता है या उसे हटाता है या नष्ट करता है,

तो वह और कंपनी का कोई व्यतिक्रमी अधिकारी कारावास की ऐसी अवधि से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या न्यूनतम एक लाख रुपए प्रतिदिन के जुर्माने से और सतत् असफलता की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है दो लाख रुपए या दोनों से दंडनीय होगा, जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर होगा ।

केन्द्रीय सरकार के निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

24. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के केन्द्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा दिए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह एक लाख रुपए के जुर्माने से और असफलता के जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, प्रतिदिन दो लाख रुपए के अधिकतम जुर्माने से दंडनीय होगा, जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

25. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और यह कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

26. कोई न्यायालय, इस अधिनियम या उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केंद्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित परिवाद के सिवाय नहीं

लेगा ।

विवाद परिनिर्धारण और सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

27. (1) केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या संदाय आयुक्त या पदाभिहित अभिरक्षक की किसी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद या बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती और पूर्विक आबंटिती के बीच इस अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का न्यायनिर्णयन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन गठित अधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम से संबंधित किसी विवाद्यक से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है और उस विवाद को उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाना चाहिए तो केंद्रीय सरकार विवाद से संबंधित या उससे सुसंगत प्रतीत होने वाले विवाद या किसी भी मामले को न्यायनिर्णयन के लिए लिखित आदेश द्वारा अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकरण विवाद के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् विवाद के संस्थित या निर्दिष्ट किए जाने से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लिखित अधिनिर्णय करेगी ।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकरण अधिनियम से संबंधित विषयों के संबंध में किसी भी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

28. किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो, केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त, पदाभिहित अभिरक्षक या उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

29. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

अनुसूची 4 में अंतर्विष्ट कतिपय अधिनियमों का संशोधन ।

30. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अनुसूची 4 में उपबंधित रीति में संशोधित हो जाएंगे ।

1973 का 26
1957 का 67

नियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की लोक नीलामी द्वारा आबंटन की रीति और फीसों के ब्यौरे ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के निबंधन और शर्तें तथा प्रतियोगी बोली की रीति और शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किसी नीलामी में बोली लगाने के लिए पात्र होने के मानक और कोयला लिंक रखने वाली किसी कंपनी की बाबत विनिधान की रकम ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर पूर्विक आबंटिती द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय किया जाएगा ;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन

किए जाने के लिए आबंटन आदेश ;

(च) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां;

(छ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन और निधान तथा आबंटन आदेशों का निष्पादन करने की रीति ;

(ज) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियों को अधिसूचित करने और पूर्विक आबंटितियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत किए जाने की रीति ;

(ञ) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नीलामी का संचालन करने और निधान आदेश तैयार करने की रीति ;

(ट) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मूल्य का अवधारण ;

(ठ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति तथा समय जिसके भीतर ऐसी बैंक गारंटी प्रस्तुत की जा सकेगी ;

(ड) धारा 9 के अधीन पूर्विकता संदायों के संवितरण की रीति ;

(ढ) धारा 10 की उपधारा (5) के पहले परंतुक के अधीन पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार, जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती के साथ संविदा की है, द्वारा जंगम संपत्ति पर हक स्थापित करने की रीति;

(ण) धारा 10 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर प्राप्त करने की रीति ;

(त) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से प्रतिभूत लेनदार को संदाय करने की रीति ;

(थ) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों से केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण के संग्रहण की रीति ;

(द) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन संदाय आयुक्त और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ध) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विक आबंटिती को संदेय प्रतिकर के अवधारण और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख को निविष्ट करने की रीति ;

(न) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूची 1 के संबंध में खान अवसंरचना के लिए प्रतिकर के अवधारण की पद्धति और उसका कानूनी रूप से संपरीक्षित तुलनपत्र में दिया जाना ;

(प) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा किसी अनुसूची 2 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के अंतरण की रीति ;

(फ) धारा 19 की उपधारा (7) के अधीन पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा अधिकार, दायित्व और बाध्यताओं के प्रयोग और निर्वहन की रीति ;

(ब) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए खनन किए गए कोयले के अधिकतम उपयोग के लिए करार या ठहराव उपबंधित करने की रीति ;

(भ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती द्वारा अपने किसी संयंत्र के लिए कोयला खान के उपयोग की रीति ;

(म) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए/जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा/जाएगी, तथापि नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

32. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2014 का 20 अध्यादेश 7

33. (1) कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई उच्चतम न्यायालय में, 2012 की रिट याचिका (दांडिक) सं0 120 में पारित तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय और तारीख 24 सितंबर, 2014 के आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएंगी ।

अनुसूची 1

[धारा 3 (1) (त) देखें]

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1	तांडीचेरला-I	आंध्र प्रदेश पावर उत्पादन निगम लिमिटेड	तेलंगाना
2	अनेस्तीपाली	आंध्र प्रदेश पावर उत्पादन निगम लिमिटेड	तेलंगाना
3	पुंकुला-चिल्का	आंध्र प्रदेश पावर उत्पादन निगम लिमिटेड	तेलंगाना
4	पेनगाडप्पा	आंध्र प्रदेश पावर उत्पादन निगम लिमिटेड	तेलंगाना
5	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास एवं व्यापार निगम	अरुणाचल प्रदेश
6	सायंग	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7	राजगमर डिपसाइड (देवनारा)	एपीआई इस्पात एंड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजी स्पांज निर्माता कंसोर्टियम कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8	दुर्गापुर-II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
9	दातिमा	बिनानी सीमेंट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
10	तारा	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
11	गारे पालमा, सेक्टर-I	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
12	शंकरपुर भटगांव II विस्तार	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
13	सोंधिया	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
14	परसा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
15	विजय सेंट्रल	कोल इंडिया लिमिटेड, एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
16	गिधमूरी	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
17	पतूरिया	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
18	दुर्गापुर-II/सरया	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
19	भास्करपारा	इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
20	वेस्ट आफ उमरिया	सैनिक फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में गरुड़ क्लेज लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
21	मोरगा II	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	छत्तीसगढ़
22	गारे पालमा सेक्टर III	गोवा औद्योगिक विकास निगम	छत्तीसगढ़
23	मदनपुर साउथ	हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, अक्षय इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ विद्युत निगम लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनियों का संकाय)	छत्तीसगढ़
24	नाकिया I	इस्पात गोदावरी लिमिटेड, इंड एग्रो सिनर्जी लिमिटेड, श्री नाकोडा इस्पात लिमिटेड, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
25	नाकिया II	इस्पात गोदावरी, इंड एग्रो सिनर्जी, श्री नाकोडा इस्पात, वंदना ग्लोबल लिमिटेड, श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
26	गारे-पालमा- IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
27	गारे पालमा IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
28	गारे-पालमा-IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
29	गारे-पालमा-IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
30	गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
31	गारे पालमा IV/6	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्पांज आयरन लिमिटेड,	छत्तीसगढ़
32	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, वीजा पावर लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, वंदना विद्युत लिमिटेड	छत्तीसगढ़
33	मोरगा-I	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
34	मोरगा III	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
35	मोरगा IV	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
36	गारे पालमा सेक्टर II	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड, तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	छत्तीसगढ़
37	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
38	राजगमर डिपसाइड (साउथ आफ फुलकाडीह नाला)	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, टोपवोर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़
39	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
40	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
41	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
42	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
43	केसला नार्थ	राठी उद्योग लिमिटेड	छत्तीसगढ़
44	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
45	पंचबहानी	श्री राधे इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
46	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
47	मदनपुर (नार्थ)	अल्ट्राटेक लिमिटेड, सिंघल एंटरप्राइज लिमिटेड, नव भारत कोलफील्ड लिमिटेड, वंदना एनर्जी एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अंजनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड,छत्तीसगढ़ कैप्टिव कोल माइनिंग लिमिटेड (पांच कंपनी का संकाय)	छत्तीसगढ़
48	ब्रिन्दा	अभिजीत इनफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
49	ससई	अभिजीत इनफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
50	मेराल	अभिजीत इनफ्रास्ट्रकचर प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
51	सेरेंगरहा	आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
52	पटल ईस्ट	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	झारखण्ड
53	सरिया कोरियाटांड	बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बीआरकेवीएन) पटना	झारखण्ड
54	मछेरकुंदा	बिहार स्पांज आयरन लिमिटेड	झारखण्ड
55	ब्रह्माडीहा	कास्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	झारखण्ड
56	महुआगढ़ी	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीईएससी), जैस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
57	चितारपुर	कॉरपोरेट इस्पात एलॉयज लिमिटेड	झारखण्ड
58	साहरपुर जमरपानी	दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
59	लालगढ़ (नार्थ)	डोम्को स्मोकलैस फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
60	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखण्ड
61	चकला	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
62	अशोक कैरकटा सेंट्रल	एस्सार पावर लिमिटेड	झारखण्ड
63	जयनगर	गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी)	झारखण्ड
64	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
65	तूबेड	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
66	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
67	नार्थ ढाडू	झारखण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, पवनजय स्टील एड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
68	बनहारडीह	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	झारखण्ड
69	सूगिया क्लोज्ड खान	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	झारखण्ड
70	राउता क्लोज्ड खान	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	झारखण्ड
71	बुराखाप स्माल पैच	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	झारखण्ड
72	पिंद्रा-देबीपुर-खाउवाटांड	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन लिमिटेड	झारखण्ड
73	लातेहार	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन लिमिटेड	झारखण्ड
74	पतरातू	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन लिमिटेड	झारखण्ड
75	राबोडीह ओसीपी	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन लिमिटेड	झारखण्ड
76	जोगेश्वर और खास जोगेश्वर	झारखण्ड राज्य मिनरल विकास कारपोरेशन	झारखण्ड
77	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
78	अमरकोंडा मुर्गादंगल	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
79	उर्मा पहारीतोला	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	झारखण्ड
80	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड
81	गोमिया	धातु और खनिज व्यापार निगम	झारखण्ड

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
82	राजहरा नार्थ (मध्य व पूर्वी)	मुकुंद लिमिटेड, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड	झारखण्ड
83	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
84	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
85	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
86	चट्टी बरिअतू साउथ	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
87	ब्राहिमनी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
88	चिचरो पस्तीमल	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड + कोल इंडिया लिमिटेड जेवी	झारखण्ड
89	पचवारा सेंट्रल	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	झारखण्ड
90	महल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
91	तेनूघाट-झिरकी	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	झारखण्ड
92	बुंदू	रूंगटा माइन्स लिमिटेड	झारखण्ड
93	मेदनीराय	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, कोहिनूर स्टील (पी) लिमिटेड	झारखण्ड
94	चोरीतांद तिल्लिया	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	झारखण्ड
95	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड
96	गनेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
97	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
98	राजबर ई एंड डी	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
99	गोंदुलपाड़ा	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम	झारखण्ड
100	कोतरे -बसंतपुर	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
101	पचमो	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीलिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड)	झारखण्ड
102	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
103	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
104	पचवारा नार्थ	प.बंगालपावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
105	सुलियारी	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम	मध्य प्रदेश
106	बिक्रम	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	मध्य प्रदेश
107	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
108	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
109	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
110	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
111	उर्तन नार्थ	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	मध्य प्रदेश
112	थेसगोरा-बा/रूद्रापुरी	कमल स्पांज स्टील एंड पावर लिमिटेड, रेवती सीमेंट पी. लिमिटेड	मध्य प्रदेश
113	अमेलिया	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	मध्य प्रदेश
114	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	मध्य प्रदेश

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आवंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
115	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	मध्य प्रदेश
116	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
117	मरकी बारका	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
118	सेमरिया/पिपरिया	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
119	बिचारपुर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
120	तांडसी-III और तांडसी-III (एक्सटेंशन)	मिडईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
121	शाहपुर ईस्ट	राष्ट्रीय खनिज डेव.कॉर्प	मध्य प्रदेश
122	शाहपुर वेस्ट	राष्ट्रीय खनिज डेव.कॉर्प	मध्य प्रदेश
123	मारा II महन	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	मध्य प्रदेश
124	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
125	ब्रह्मपुरी	पुष्प स्टील एंड माइनिंग लिमिटेड	मध्य प्रदेश
126	रावनवारा नार्थ	एसकेएस इस्पात लिमिटेड	मध्य प्रदेश
127	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके सीमेंट लिमिटेड	महाराष्ट्र
128	मरकी मंगली-I	बी एस इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
129	तकली-जेना-बेल्लोरा (नार्थ) और तकली-जेना- बेल्लोरा (साउथ)	केन्द्रीय कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और लॉयड्स मेटल्स एंड इंजीनियारिंग लिमिटेड	महाराष्ट्र
130	दाहेगांव/मकरधोकरा-IV	आईएसटी स्टील एंड पावर लिमिटेड, गुजरात अंबुजा लिमिटेड, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट सीमेंट.लिमिटेड	महाराष्ट्र
131	गोंदखारी	महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड, केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
132	मरकी-ज़री-जमानी-अदकोली	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड	महाराष्ट्र
133	लोहरा (ईस्ट)	मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	महाराष्ट्र
134	खप्पा और विस्तार	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड, डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड	महाराष्ट्र
135	लोहरा वेस्ट विस्तार	अदानी पावर लिमिटेड	महाराष्ट्र
136	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड	महाराष्ट्र
137	कोसर डोंगेरगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
138	वरोरा (वेस्ट) दक्षिणी भाग	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
139	चिनोरा	फील्डमाइनिंग एंड इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
140	माजरा	गोंडवाना इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
141	नेरद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स और वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
142	बरांज - I	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
143	बरांज - II	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
144	बरांज - III	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
145	बरांज - IV	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
146	किलोनी	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
147	मनोरा डीप	कर्नाटैक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
148	अग्रज़री	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
149	वरोरा	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमएसएमसीएल)	महाराष्ट्र
150	भंदक वेस्ट	श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड	महाराष्ट्र
151	मरकी मंगली-II	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड.	महाराष्ट्र
152	मरकी मंगली-III	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड.	महाराष्ट्र
153	मरकी मंगली-IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड.	महाराष्ट्र
154	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
155	मंदाकिनी बी	असम मिनरल डेव.कार. लिमिटेड, मेघालय मिनरल डेव.कार., तमिलनाडु बिजली बोर्ड, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन. लिमिटेड	ओडिशा
156	न्यू पात्रपारा	भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड, दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधुनिक कार्पोरेशन लिमिटेड,उड़ीसा स्पांज आयरन लिमिटेड, एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड, श्री मेटालिक्स लिमिटेड, वीजा स्टील लिमिटेड	ओडिशा
157	बिजहान	भूषण लिमिटेड, श्री महावीर फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	ओडिशा
158	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
159	नैनी	गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	ओडिशा
160	महानदी	गुजरात राज्य बिजली निगम लिमिटेड,महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	ओडिशा
161	मच्छाकाटा	गुजरात राज्य बिजली निगम लिमिटेड,महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	ओडिशा
162	तालाबीरा-I	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
163	रामचंडी प्रोमोशन ब्लॉक	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
164	उत्कल बी 1	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
165	बेतरनी वेस्ट	केरल राज्य इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, उड़ीसा हाइड्रो पावर कार्पोरेशन, गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ओडिशा
166	तालाबीरा II एवं III	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
167	उत्कल-ए	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, जिंदल थर्मल पावर कंज. लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील्स लिमिटेड, श्याम डीआरआई लिमिटेड	ओडिशा
168	उत्कल-बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
169	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
170	उत्कल - 'ई'	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम	ओडिशा
171	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
172	उत्कल-डी	ओडिशा खनन निगम	ओडिशा
173	नौगांव तेलीसाही	ओडिशा खनन निगम, आंध्र प्रदेश खनिज विकास (एपीएमडीसी)	ओडिशा
174	मनोहरपुर	ओडिशा विद्युत उत्पादन निगम	ओडिशा
175	डिपसाइड मनोहरपुर	ओडिशा विद्युत उत्पादन निगम	ओडिशा
176	राधिकापुर (वेस्ट)	रूंगटा माइन्स लिमिटेड, ओसीएल इंडिया लिमिटेड, ओसिएन इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
177	रामपिया	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड., (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड (सीपीपी), लैंको समूह लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट.लिमिटेड (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
178	रामपिया की डिपसाइड	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड, (आईपीपी), जीएमआर एनर्जी (आईपीपी), आर्सेलर मित्तल इंडिया लिमिटेड (सीपीपी), लैंको समूह लिमिटेड (आईपीपी), नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड (आईपीपी), रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आईपीपी)	ओडिशा
179	अर्खापाल श्रीरामपुर के नार्थ	स्ट्रेटजिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी सिस्टम्स लिमिटेड (एसईटीएसएल)	ओडिशा
180	राधिकापुर (ईस्ट)	टाटा स्पांज आयरन लिमिटेड, स्काव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएस स्पांज आयरन लिमिटेड	ओडिशा
181	चेंदीपाडा	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ओडिशा
182	चेंदीपाडा-II	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड,महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ओडिशा
183	उत्कल-सी	उत्कल कोल लिमिटेड (पूर्व में आईसीसीएल)	ओडिशा
184	बिहारीनाथ	बांकुरा डीआरआई खनन निर्माता कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
186	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
187	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
188	कास्ता (ईस्ट)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
189	गौरंगडीह एबीसी	हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
190	मोइरा-मधुजोरे	रामस्वरुप लौह उद्योग लिमिटेड, आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड, हावड़ा गैसिस लिमिटेड, विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
191	सरीसातोल्ली	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड,	पश्चिमी बंगाल
192	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जयबालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
193	तारा (वेस्ट)	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
194	गंगारामचक	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
195	बरजोरा	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
196	गंगारामचक- भदुलिया	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
197	तारा (ईस्ट)	पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
198	जगन्नाथपुर बी	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास और व्यापार कार्पोरेशन	पश्चिमी बंगाल
199	सीतारामपुर	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
200	ट्रांस दामोदर	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
201	इच्छापुर	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
202	कुल्टी	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
203	जगन्नाथपुर-क	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार कार्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
204	दामोगरिया ईस्ट (कल्याणेश्वरी)	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 2

[धारा 3 (1) (थ) देखिए]

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आबंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1	नामचिक नामफुक	अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास एवं व्यापार निगम	अरुणाचल प्रदेश
2	गारे-पालमा- IV/4	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3	गारे-पालमा-IV/2	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
4	गारे-पालमा-IV/3	जिंदल पावर लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
5	गारे-पालमा-IV/1	जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
6	गारे-पालमा-IV/5	मोनेट इस्पात लिमिटेड	छत्तीसगढ़
7	चोटिया	प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	छत्तीसगढ़
8	गारे-पालमा-IV/7	रायपुर एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड (अब शारदा एनर्जी एंड मिनरल लिमिटेड)	छत्तीसगढ़
9	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
10	कांता बासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल)	छत्तीसगढ़
11	पर्बतपुर-सेंट्रल	इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	झारखण्ड
12	तोकीसूद नार्थ	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लिमिटेड	झारखण्ड
13	पचवारा सेंट्रल	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	झारखण्ड
14	कथौटिया	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
15	पचवारा नार्थ	पश्चिमी बंगालपावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	झारखण्ड
16	गोतितोरिया (ईस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
17	गोतितोरिया (वेस्ट)	बीएलए इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
18	मंडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड	मध्य प्रदेश
19	अमेलिया (नार्थ)	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	मध्य प्रदेश
20	बिचारपुर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
21	सियाल घोघरी	प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड	मध्य प्रदेश
22	मरकी मंगली-I	बी एस इस्पात लिमिटेड	महाराष्ट्र
23	बरांज - I	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
24	बरांज - II	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
25	बरांज - III	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
26	बरांज - IV	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
27	किलोनी	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र
28	मनोरा डीप	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	महाराष्ट्र

. क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आवंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ ब्लॉक स्थित है
29	मरकी मंगली-II	श्री वीरांगना स्टील्स लिमिटेड.	महाराष्ट्र
30	मरकी मंगली-III	श्री वीरांगना स्टील सीमित.	महाराष्ट्र
31	बेलगांव	सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	महाराष्ट्र
32	तालाबीरा-I	हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ओडिशा
33	बरजोरा (नार्थ)	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
34	कागरा जोयदेव	दामोदर घाटी निगम	पश्चिमी बंगाल
35	सरीसातोल्ली	कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड,	पश्चिमी बंगाल
36	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लिमिटेड, जयबालाजी स्पांज लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
37	तारा (वेस्ट)	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
38	गंगारामचक	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल))	पश्चिमी बंगाल
39	बरजोरा	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
40	गंगारामचक- भदुलिया	पश्चिमी बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिमी बंगाल
41	तारा (ईस्ट)	पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	पश्चिमी बंगाल
42	ट्रांस दामोदर	पश्चिमी बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल

अनुसूची 3

[धारा 3 (1) (द) देखिए]

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आवंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
1	2	3	4
1	दुर्गापुर-II/ताराईमार	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़
2	दुर्गापुर-II/सरया	डीबी पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
3	गारे पालमा सेक्टर III	गोवा औद्योगिक विकास निगम	छत्तीसगढ़
4	गारे पाल्मा IV/8	जयसवाल नेको लिमिटेड	छत्तीसगढ़
5	तलाईपाली	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	छत्तीसगढ़
6	चट्टी बरिअतू	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
7	महन	एस्सार पावर लिमिटेड, हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	मध्य प्रदेश
8	मंडला साउथ	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	मध्य प्रदेश
9	डोंगरी ताल-II	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसी)	मध्य प्रदेश
10	कोसर डोंगेरगांव	चमन मेटालिक्स लिमिटेड	महाराष्ट्र
11	नेराद मालेगांव	गुप्ता मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड, गुप्ता कोलफील्ड्स और वाशेरिज़ लिमिटेड	महाराष्ट्र
12	मरकी मंगली-IV	श्री वीरांगना स्टील लिमिटेड.	महाराष्ट्र
13	जमखानी	भूषण लिमिटेड	ओडिशा
14	उत्कल बी 1	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	ओडिशा
15	उत्कल-बी 2	मोनेट इस्पात लिमिटेड	ओडिशा
16	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड, जिंदल फोटो लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	ओडिशा
17	उत्कल-सी	उत्कल कोल लिमिटेड (ईस्ट में आईसीसीएल)	ओडिशा
18	वृंदा	अभिजीत इनफ्रा. प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
19	ससई	अभिजीत इनफ्रा. प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
20	मेराल	अभिजीत इनफ्रा. प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
21	मोइत्रा	जयसवाल नेको लिमिटेड	झारखण्ड
22	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	झारखण्ड
23	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	झारखण्ड
24	डुमरी	नीलाचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, बजरंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	झारखण्ड
25	केरनदारी	नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड	झारखण्ड
26	सीतानाला	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड	झारखण्ड

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक का नाम	पूर्विक आवंटिती का नाम	राज्य जहां कोयला खान/ब्लॉक स्थित है
27	गणेशपुर	टाटा स्टील लिमिटेड, आधुनिक थर्मल एनर्जी	झारखण्ड
28	बदम	तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड	झारखण्ड
29	तारा	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	छत्तीसगढ़
30	लोहारी	उषा मार्टिन लिमिटेड	झारखण्ड
31	दुलंगा	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	ओडिशा
32	मनोहरपुर	उड़ीसा विद्युत उत्पादन निगम	ओडिशा

अनुसूची 4

(धारा 28 देखिए)

भाग क

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973

(1973 का 26)

धारा 1क का संशोधन ।

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1क की उपधारा (1) में "धारा 3" शब्द और अंक के पश्चात् ", धारा 3क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 3क का अन्तःस्थापन ।

2. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कंपनी और अन्य द्वारा खनन संक्रियाएं ।

'3क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो--

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा सृजित कोई सहउद्यम कंपनी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच कोई सहउद्यम कंपनी है या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी है ; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा सृजित कोई कंपनी या सहउद्यम कंपनी है,

यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार या तो स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में भारत में कोयला खनन संक्रियाएं कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत कोयला संसाधनों के समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोयला खानों का सुव्यवस्थीकरण करने के विचार से समय-समय पर निम्नलिखित विहित कर सकेगी, --

(i) कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान ;

(ii) कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

जो उस सरकार की राय में कंपनी द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 का 18 2013 की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ।'।

धारा 34 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक) धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन कोयला खानों या कोयला धारक क्षेत्र और उनके अवस्थान, कोयला खान या कोयला धारक क्षेत्रों का न्यूनतम आकार

और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला खनन संक्रियाओं, जिनके अन्तर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है, के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।"।

भाग ख

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

(1957 का 67)

धारा 11क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

1. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का मंजूर किया जाना ।

"11क. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार कोयला या लिग्नाइट युक्त किसी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतियोगी बोली के माध्यम से नीलामी द्वारा निम्नलिखित कंपनियों में से किसी का चयन करेगी, अर्थात् :--

(क) कोई सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा सृजित कोई सहउद्यम कंपनी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच कोई सहउद्यम कंपनी या भारत में निगमित कोई अन्य कंपनी ; या

(ख) दो या अधिक कंपनियों द्वारा सृजित कोई कंपनी या सहउद्यम कंपनी,

जो, यथास्थिति, परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार या तो स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में भारत में कोयला खनन संक्रियाएं कर सकेंगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, देश की बढ़ती अपेक्षाओं से संगत कोयला संसाधनों के समन्वित और वैज्ञानिक विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोयला और लिग्नाइट खानों का सुव्यवस्थीकरण करने के विचार से समय-समय पर निम्नलिखित विहित कर सकेगी, --

(i) खानों और उनके अवस्थान के ब्यौरे ;

(ii) ऐसी खानों का न्यूनतम आकार ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तें,

जो उस सरकार की राय में कंपनी द्वारा कोयला खनन संक्रियाओं या किसी कंपनी द्वारा विक्रय हेतु खनन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

(3) राज्य सरकार प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से या इस धारा के अधीन अन्यथा चुनी गई ऐसी कंपनी को कोयला या लिग्नाइट धारक किसी क्षेत्र के संबंध में सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर करेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रतियोगी बोली के द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट धारक किसी ऐसे क्षेत्र को लागू नहीं होगा, जहां--

(क) ऐसे क्षेत्र को किसी सरकारी कंपनी या निगम या ऐसी कंपनी या निगम द्वारा सृजित किसी सहउद्यम कंपनी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच किसी सहउद्यम कंपनी को आबंटित करने के लिए विचार किया गया है ;

(ख) ऐसे क्षेत्र को किसी ऐसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ हेतु प्रतियोगी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अन्तर्गत कोई अतिबृहत विद्युत परियोजना भी है) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ।'।

2013 का 18

2. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 13 का संशोधन ।

"(घ) प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के निबंधन और शर्तें, खानों और उनके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें, जो कोयला खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिसके अन्तर्गत धारा 11क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है ।"।

उद्देश्यों और कारणों के कथन

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 की रिट याचिक (दांडिक) सं0 120 (मनोहरलाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य) तथा 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं0 463 (कामन काज बनाम भारत संघ और अन्य) और अन्य संबंधित लोकहित मुकदमों में अपने तारीख 25 अगस्त, 2014 के निर्णय द्वारा छानबीन समिति और सरकारी वितरण रुट के माध्यम से कोयला ब्लाकों के आबंटन को मनमाना और अवैध अभिनिर्धारित कर दिया है । उच्चतम न्यायालय ने 1993 से आबंटित कुल 218 कोयला ब्लाकों में से 204 का आबंटन रद्द करते हुए अपना तारीख 24 सितंबर, 2014 का आदेश सुनाया । 42 कोयला ब्लाकों (37 उत्पादन कर रहे और 5 उत्पादन के लिए तैयार) के मामले में रद्दकरण 31 मार्च, 2015 से और अन्य के मामले में तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा । न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि इन 42 कोयला ब्लाक आबंटितियों द्वारा उत्पादन के प्रारंभ होने से 31 मार्च, 2015 तक निकाले गए कोयले पर 295 रु0 प्रति मीटरी टन अतिरिक्त उद्ग्रहण संदत्त किया जाना है ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में तुरंत कार्रवाई करना समीचीन समझा गया था जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके । अध्यादेश को प्रख्यापित करने की आवश्यकता देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कोर सैक्टरों जैसे इस्पात, सीमेंट और विद्युत उपयोगिता के क्षेत्र में कोयले की घोर कमी को दूर करने के लिए महसूस की गई थी । इसके अतिरिक्त गृहस्थ उपभोक्ताओं, मध्यम और लघु उपक्रमों और कुटीर उद्योगों को होनी वाली कठिनाइयों को कम करने के साथ ही साथ देश में कोयले की कुल कमी को दूर करने के लिए तथा नए आबंटितियों को कोयला खान आबंटित करके उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए धारा 3क अंतःस्थापित करके कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 का संशोधन किया गया था और धारा 11क प्रतिस्थापित करके खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन किया गया था जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित में कोयला खनन करने की पात्रता से अंतिम उपयोग के निर्बंधन को हटाया गया ।

3. उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आदेश को कार्यान्वित करने के क्रम में उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यादेश, अर्थात् कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन 21 अक्तूबर, 2014 को अध्यादेश अर्थात् कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया गया था । उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए 10 दिसंबर, 2014 को लोक सभा में कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014 प्रतिस्थापित किया गया था । उक्त विधेयक लोक सभा द्वारा 10 दिसंबर, 2014 को पारित कर दिया गया और यह राज्य सभा में लंबित है ।

4. कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोयला खान के आबंटन के लिए नियम बनाना भी है और इसलिए यह आवश्यक समझा गया था कि उक्त अध्यादेश के उपबंधों को निरंतरता प्रदान की जाए और उसके अधीन की गई कार्रवाईयां सुरक्षित रखी जाएं ।

5. संसद् सत्र में नहीं थी और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया था कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 26 दिसंबर, 2014 को कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 प्रख्यापित किया गया था ।

6. यह प्रस्ताव है कि कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 को

प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाए ।

7. कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 में कोयला खानों के आबंटन तथा भूमि और खनन अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के साथ ही कोयला खनन संक्रियाओं और कोयले के उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों और आबंटितियों को खनन पट्टों के आबंटन के लिए और राष्ट्रीय हित में देश की अपेक्षाओं के संगत कोयला साधनों की अधिकतम उपयोग की अभिवृद्धि के लिए उपबंध किया गया है । इसके अतिरिक्त, विधेयक में समन्वित और वैज्ञानिक विकास तथा देश की उत्तरोत्तर बढ़ती अपेक्षाओं के संगत कोयला साधनों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए खनन संक्रियाओं, उपभोग और विक्रय के लिए कोयला सैक्टर को सुव्यवस्थित करने के लिए शर्तें विहित की गई हैं ।

8. खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

9. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

पीयूष गोयल
कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नई दिल्ली ;
16 फरवरी, 2015

खंडों पर टिप्पण

खंड 1--यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

खंड 2--यह खंड संघ की कार्रवाई की समीचीनता की घोषणा के बारे में है ।

खंड 3--यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

खंड 4--यह खंड नीलामी में भाग लेने की पात्रता और फीसों के संदाय का उपबंध करता है ।

खंड 5--यह खंड केंद्रीय सरकार को किसी सरकारी कंपनी या निगम को अनुसूची 1 कोयला खान आबंटित करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 6--यह खंड केंद्रीय सरकार का किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से कार्य करने और उसकी शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है ।

खंड 7--यह खंड केंद्रीय सरकार को कतिपय अनुसूची 1 कोयला खानों को वर्गीकृत करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 8--यह खंड नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी रीति में, जो उसमें विहित हो, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत निधान आदेश या आबंटन आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 9--यह खंड यह उपबंध करता है कि अनुसूची 1 कोयला खान से संबंधित भूमि और खान अवसंरचना से उदभूत आगमों का संवितरण अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे नियमों के अनुसार, जो उपबंधित किया जाए, संदाय की पूर्विकता को बनाए रखते हुए किया जाएगा ।

खंड 10--यह खंड ऐसी रीति में, जो उपबंधित किया जाए, कोयला खनन संक्रिया में प्रयुक्त जंगम संपत्ति के उपयोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 11--यह खंड पूर्विक आबंटितियों के साथ तृतीय पक्षकार संविदाओं के उन्मोचन और अंगीकरण का उपबंध करता है ।

खंड 12--यह खंड प्रतिभूति लेनदारों से संबंधित उपबंधों का उपबंध करता है ।

खंड 13--यह खंड यह उपबंध करता है कि किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य प्रतिभूत उधार देने वाले द्वारा यथा रजिस्ट्रीकृत भूमि और खान अवसंरचना में किसी रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति हित और उस पर प्रभार के सिवाय, 25 अगस्त, 2014 के पश्चात् किसी पूर्विक आबंटिती द्वारा भूमि और खान अवसंरचना का कोई और सभी संक्रामण तथा उन पर किए गए किन्हीं विल्लगमों का सृजन, चाहे किसी भी प्रकृति का हो, जो अनुसूची 1 कोयला खानों से संबंधित है, शून्य होगा ।

खंड 14--यह खंड पूर्विक आबंटितियों के दायित्वों का उपबंध करता है ।

खंड 15--यह खंड अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजनों हेतु संदाय आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है । उपखंड उक्त आयुक्त की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करते है ।

खंड 16--यह खंड पूर्विक आबंटिती को सदाय के लिए प्रतिकर के मूल्यांकन का

उपबंध करता है ।

खंड 17--यह खंड यह उपबंध करता है कि नियत तारीख से ही, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी को ऐसी प्रत्येक अनुसूची 2 कोयला खान के संबंध में, जिसकी बाबत प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, राज्य सरकार का पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी हो जाना ऐसे समझा जाएगा, मानो ऐसी कोयला खान के संबंध में खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को मंजूर की गई थी और ऐसे पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि वह अधिकतम अवधि होगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा खनिज छूट नियम, 1960 के अधीन ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकती थी और तदुपरि ऐसे खनन पट्टे के अधीन सभी अधिकार जिसके अंतर्गत भूतल, भूमिगत और अन्य अधिकार भी हैं, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली किसी कंपनी को अंतरित होना और उनमें निहित होना माना जाएगा ।

खंड 18--यह खंड यह उपबंध करता है कि नियत तारीख से ही यदि अनुसूची 1 कोयला खानों का आबंटन पूरा नहीं होता है तो केंद्रीय सरकार ऐसी कोयला खानों के लिए पदाभिहित अभिरक्षक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी अधिसूचित कोयला खानों के प्रबंध और प्रचालन के लिए अधिसूचित करें ।

खंड 19--यह खंड और उसके उपखंड अनुसूची 2 कोयला खानों की बाबत पदाभिहित अभिरक्षक की शक्तियों और कृत्यों के उपबंध करते हैं ।

खंड 20--यह खंड यह उपबंध करता है कि बोली लगाने वाला कोई सफल व्यक्ति या आबंटिती या कोयला लिंकधारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, यथास्थिति, अन्य बोली लगाने वाले सफल व्यक्ति या आबंटिती या कोयला लिंकधारी से लोकहित में और लागत दक्षता प्राप्त करने के लिए समान अंतिम उपयोग हेतु अधिकतम उपयोग के लिए कतिपय करार या ठहराव करने का हकदार होगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि बोली लगाने वाला सफल व्यक्ति या आबंटिती किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से सामान्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे हुए उसके किन्हीं संयंत्रों के लिए भी कोयला खान का ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, उपयोग कर सकेगा ।

खंड 21--यह खंड भूमि अर्जन की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 22--यह खंड अनुसूची 2 कोयला खान के पूर्विक आबंटिती से अतिरिक्त उद्ग्रहण की वसूली का उपबंध करता है ।

खंड 23--यह खंड कतिपय अपराधों के लिए शास्तियों का उपबंध करता है ।

खंड 24--यह खंड केंद्रीय सरकार के निदेशों की अनुपालना करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

खंड 25--यह खंड किसी कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के विरुद्ध शास्ति की प्रक्रिया का उपबंध करता है ।

खंड 26--यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई न्यायालय, प्रस्तावित विधान या उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केंद्रीय सरकार या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा सिवाय प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित परिवाद के इस निमित्त नहीं लेगा ।

खंड 27—यह खंड प्रस्तावित विधान से संबंधित किसी मामले के संबंध में सिविल न्यायालयों और अन्य न्यायालयों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिवाय) की अधिकारिता के वर्जन के लिए अनुकल्पी विवाद समाधान मंच का उपबंध करता है ।

खंड 28—इस खंड में केंद्रीय सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संदाय आयुक्त या पदाभिहित अभिरक्षक या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है ।

खंड 29—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

खंड 30—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ होने की तारीख से ही कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 उसमें उपबंधित रीति में संशोधित हो जाएंगे ।

खंड 31—यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । उक्त खंड के उपखंड (2) के संबंध में दिए गए विषयों के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, जो उसमें उपबंधित हैं, खंड 3 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने की अपेक्षा करता है ।

खंड 32—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि प्रस्तावित विधान के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, परंतु ऐसा कोई आदेश, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा और इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 6 के उपखंड (1) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रुप में भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जो इस विधेयक के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार के लिए और उसकी ओर से कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं ।

2. विधेयक के खंड 6 के उपखंड (2) में यह उपबंध है कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी नीलामी के संचालन और अनुसूची 1 कोयला खानों के संबंध में निधान आदेश या आबंटन आदेश तैयार करने हेतु प्राधिकारी को सिफारिशें करने के लिए ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले तथा ऐसे निर्बधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं किसी विशेषज्ञ को नियोजित कर सकेगा ।

3. विधेयक के खंड 6 के उपखंड (6) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन नियुक्त नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

4. विधेयक के खंड 15 के उपखंड (1) में यह उपबंध है कि अनुसूची 1 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

5. विधेयक के खंड 15 के उपखंड (2) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद को नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे और तदुपरि आयुक्त ऐसे एक या अधिक अधिकारियों को उसके द्वारा इस विधेयक के अधीन प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा ।

6. विधेयक के खंड 15 के उपखंड (4) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसे होंगी जो विहित की जाएं ।

7. तथापि, आवर्ती और अनावर्ती व्यय के निबंधनानुसार अपेक्षित जनशक्ति और कुल वित्तीय विविक्षा के साथ ही अंतर्विष्ट बहुलकताओं का अवधारण नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या संदाय आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात् किया जाएगा । इसलिए, इस स्तर पर आवर्ती और अनावर्ती दोनों व्ययों का ठीक पता लगाना कठिन है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक के खंड 29 के उपखंड (1) में केंद्रीय सरकार को इस विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु उपखंड (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों के लिए, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन लोक नीलामी के माध्यम से अनुसूची 1 कोयला खानों के आबंटन की रीति और फीसों के ब्यौरें; धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सर्वेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे को मंजूर करने के लिए निबंधन और शर्तें तथा प्रतियोगी बोली की रीति और शर्तों ; धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किसी नीलामी में बोली लगाने के लिए पात्र बनने के मानक और कोयला लिंक रखने वाली किसी कंपनी की बाबत विनिधान की रकम; वह अवधि जिसके भीतर धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन पूर्विक आबंटिती द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण का संदाय किया जाएगा; धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन किसी सरकारी कंपनी या निगम को आबंटन करने के लिए आबंटन आदेश ; धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां ;

(II) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तिया; धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्तियां; धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(III) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नीलाम की जाने वाली अनुसूची 1 कोयला खानों की विशिष्टियां अधिसूचित करने की रीति तथा पूर्विक आबंटिती द्वारा अपेक्षित सूचना का दिया जाना ; धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नीलामी संचालन की रीति और निधान आदेश का तैयार किया जाना ; धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम मूल्य या आरक्षित कीमत का अवधारण ; धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन बैंक प्रत्याभूति देने का प्ररुप और रीति तथा वह समय जिसके भीतर ऐसी बैंक प्रत्याभूति दी जाएगी ; धारा 9 के अधीन पूर्विकता संदायों के संवितरण की रीति ; धारा 10 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक के अधीन ऐसे पूर्विक आबंटिती या तृतीय पक्षकार द्वारा जिसने जंगम संपत्ति के लिए पूर्विक आबंटिती से कोई संविदा की है, जंगम संपत्ति का हक सिद्ध करने की रीति ; धारा 10 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अधीन जंगम संपत्ति के विक्रय आगमों से प्रतिकर प्राप्त करने की रीति ;

(IV) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति जिसमें किसी पूर्विक आबंटिती की बाबत प्रतिकर में से प्रतिभूत लेनदार को संदाय किया जाएगा ; धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अनुसूची 2 कोयला खानों के पूर्विक आबंटितियों से केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उद्ग्रहण के संग्रहण की रीति ; धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन संदाय आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ; धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विक आबंटिती को संदेय प्रतिकर के अवधारण तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों को निविष्ट करने की रीति; धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूची 1 के संबंध में खनन अवसंरचना के लिए प्रतिकर के अवधारण की पद्धति तथा इसे कानूनी रुप से

संपरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया जाना ;

(V) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन पदाभिहित अभिरक्षक द्वारा किसी अनुसूची 2 कोयला खान के प्रबंध और प्रचालन के अंतरण की रीति; धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोगों के लिए कोयला खानों के अधिकतम उपयोग के लिए करारों और ठहरावों का उपबंध करने की रीति ;

(VI) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन बोली लगाने वाले किसी सफल व्यक्ति या आबंटिती द्वारा अपने किसी भी संयंत्र के लिए कोयला खान के उपयोग की रीति ; कोई अन्य विषय जिसका किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए ।

(VII) उपखंड (3) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा प्रत्येक नियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना संभव नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * * * * *

संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा ।

1क. (1) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ कोयला खानों का विनियमन और विकास, इसमें इसके पश्चात् धारा 3 की उपधारा (3) और (4) और धारा 30 की उपधारा (2) में उपबंधित विस्तार तक, अपने नियंत्रण में ले ले ।

* * * * * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

34. (1) * * * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :--

* * * * * * * *

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * * * * *

कोयले या लिग्नाइट के संबंध में प्रक्रिया ।

11क. केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें कोयला या लिग्नाइट अन्तर्विष्ट है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से, ऐसी किसी कंपनी का चयन कर सकेगी, जो--

(i) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन ;

(ii) विद्युत के उत्पादन ;

(iii) किसी खान से अभिप्राप्त कोयले की धावन ; या

(iv) ऐसे अन्य अंतिम उपयोग, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे,

में लगी हुई है और राज्य सरकार, कोयला या लिग्नाइट के संबंध में, ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा ऐसी कंपनी को अनुदत्त करेगी, जिसका इस धारा के अधीन प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से चयन किया जाता है :

परन्तु प्रतियोगी बोली द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट वाले किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, लागू नहीं होगी,—

(क) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी को या निगम को खनन या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग करने के लिए आबंटन हेतु विचार किया जाता है ;

(ख) जहां ऐसे क्षेत्र पर ऐसी किसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतियोगी बोलियों के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसमें अति वृहत् विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं) प्रदान की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसमें उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ के भीतर कोई विदेशी कंपनी भी सम्मिलित है । 1956 का 1

* * * * * * * *

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) * * * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

* * * * * * * *

(घ) धारा 11क के अधीन कंपनी चयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा निलामी के निबंधन और शर्तें ;

* * * * * * * *

GMGIPMRND—4539LS(CRC)—18-02-2015.